संख्या-**48/2016/255/2//12-3-2016-100(10)/2014**

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल**,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक**,**
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग**-3** लखनऊ**:** दिनांक**: 28** मार्च**, 2016**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत यू. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के पी.एल.ए. में रखी गयी धनराशि रू0 86.50 करोड़ में से धनराशि आहरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-एस.एफ./1239टी/जी/08/2014-15, दिनांक 22.02.2016 एवं शासनादेश संख्या-464/12-3-2015-100(10)/2014, दिनांक 27.03.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो रू0 86.50 करोड़ की धनराशि यू0पी0 स्टेट एग्रो, इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के पी.एल.ए. में रखे जाने विषयक है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-464/12-3-2015-100(10)/2014, दिनांक 27.03.2015 द्वारा यू.पी. स्टेट एग्रो, इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 के पी.एल.ए. में रखी गयी धनराशि में से रू0-23,76,31,100 (रू0 तेईस करोड़ छिहात्तर लाख इक्कतीस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) पी.एल.ए. में आहरण हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों के सापेक्ष ही किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29.5.2012 द्वारा लाभार्थियों को उनके खाते में समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: धनराशि का भुगतान तद्नुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पी.एल.ए. से आहरित किये जाने वाली धनराशि के उपरोक्तानुसार व्यय होने के पश्चात् ही पी.एल.ए. से दूसरी किश्त का आहरण वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

(4) समस्त लाभार्थियों की सूची कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करायी जायेगी।

(5) यू. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि. के पी.एल.ए. से धनराशि आहरित कर योजना में स्थापित सोलर पम्पों का जनपद के परियोजनाधिकारी, यू. पी. नेडा एवं जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त मुख्यालय स्तर से संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्मो को भुगतान की जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-140/दस-2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल **)**
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>सं0-255(1)/12-3-2016-तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र) कृषि भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालाय, कृषि भवन,लखनऊ ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय **)**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in